

आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशांसा के पश्चात ग्राम सवाईजयप्रियपुर के खाता सं. 38, 39, 40 खसरा नं. .... में आवेदन पत्र अनुसार शमशेर पुर मूराम के स्थान पर शमेश्वर पुर मवर लक्ष्मी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश केम्प सवाईजयप्रियपुर पंचायत सवाईजयप्रियपुर में दिनांक 28/09/25 को मजमेआम में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी  
फागी

